रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062021-227848
CG-DL-E-24062021-227848

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 345]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 24, 2021/आषाढ़ 3, 1943	
No. 345]	NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 24, 2021/ASHADHA 3, 1943	

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

सा.का.नि. 433(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 निम्नलिखित प्रारूप नियमों में, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है। इस अधिसूचना को एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (एमवीएल, परिवहन, टोल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे अथवा comments-morth@gov.in; पर ई-मेल किए जा सकेंगे।

उक्त प्रारूप नियमों के बारे में आक्षेप या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ -** (1) इन नियमों को केंद्रीय मोटर यान (....... संशोधन) नियम, 2021 कहा जा सकता है,

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में नियम 125 के उप-नियम (9क) में, शब्दों, अक्षरों और आंकड़ों ''31 अगस्त,2021'' के स्थान पर शब्दों, अक्षरों और आंकड़ों ''31 दिसंबर,2021'' प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. आरटी-11028/16/2016-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम 2 जून, 1989 की अधिसूचना संख्या सा. का. नियम 590(अ.) के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार दिनांक .... की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. .....(अ.) के द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 2021

G.S.R. 433(E).— The following draft rules further amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Sections 110(1), of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988). This notification is hereby published, as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL, Transport, Toll), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001, Email: comments-morth@gov.in.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Draft Rules

1. Short title and commencement - (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (……………Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in sub-rule (9A) of Rule 125, for the words, characters and figures "31st day of August, 2021" the words, characters and figures "31st December, 2021" shall be substituted

[F. No. RT-11028/16/2016-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide Notification number …….. Dated…………

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM